UPET010025272013

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या–22/2013

राज्य – प्रति– रविन्द्र आदि

अन्तर्गत धारा–446 दं0प्र0सं0
थाना–पिलुआ, एटा।
सम्बन्धित जी0एस0टी0 संख्या–76/2008

राष्ट्रीय लोक अदालत

14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि जमानतदार रविन्द्र सिंह पुत्र नारायन सिंह निवासी बॉस बादाम, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा एवं रामस्वरूप पुत्र मिजाजी लाल, निवासी अशोक नगर, थाना बाह, जिला आगरा द्वारा जी0एस0टी0 संख्या–76/2008, अ0सं0–01/2007, अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना पिलुआ के मामले में अभियुक्त अंजू सिंह पुत्र बदन सिंह की जमानत ली थी। अभियुक्त अंजू सिंह की अनुपस्थिति के कारण उपरोक्त दोनों जमानतदारों के विरूद्व प्रकीर्ण वाद खोला गया था।

मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त अंजू सिंह न्यायिक अभिरक्षा में रहकर विचारण का सामना कर रहा है और यह मूल पत्रावली दिनांक 16.03.2026 निर्णय हेतु लम्बित है। अभियुक्त अंजू की अनुपस्थिति के कारण उसके जमानतदारों को नोटिस जारी किया गया था। अभियुक्त अन्जू उक्त मामले में दिनांक 09.11.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में रहकर विचारण का सामना कर रहा है। चूँकि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में अ0सं0–01/2007 के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी दशा में जमानतदारों के विरूद्व वर्तमान प्रकीर्ण वाद प्रचलन योग्य नहीं है।

–आदेश–

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–22/2013 राज्य बनाम रविन्द आदि तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03 एटा।

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.03.14 13:04:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court